तारीख हुक्म	
4-9-19	बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं । पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्थ है। पत्रावली दिनांक..5-9-19..को पेश हो
5-9-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी प्रार्थिक रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर प्रार्थिक डिक्री जारी की गई T.D.R हनुमानगढ़ को विभाजन पश्चात हेतु लिखा जाकर पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्तुति दिनांक 14-10-19 को पेश हो

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 093/2016

1 रूकमा पत्नी ईशर जाति चमार साकिन गुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 मोडूराम पुत्र श्री मलूराम जाति चमार साकिन गुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 गोपाल
2 माडूराम
3 बुधराम
4 भानीराम

पिसरान जगमाल जाति चमार साकिन बिजारणिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 पतराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति मेघवाल साकिन चक 16 एम.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री देवदत्त भीडासरा अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री आशीष भीडासरा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 6

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.09.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जिसकी तफसील आराजी निम्न प्रकार से है :–

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	तादादी
10 एम.डी. बी	156/328	22	6/2/.127, 7/1/.126, 8/1/.127, 9/2/.126, 10/1/.127, 11 ता 25	3.795 हैक्टर
	156/329	23	1 ता 5	1.265 हैक्टर
			कुल तादादी :–	5.693 हैक्टर

अर्थात दोनो पत्रों को कुल तादादी 5.693 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 संलग्न वाद पत्र है।

वादी संख्या 2 माडूराम की माता माडी पत्नी मलू का देहान्त हो चुका है। जिसका केवल नात्र एक वारिस वादी संख्या 2 है इसलिए वादी संख्या 2 स्वर्गीय माडी के हक व हिरसा की भूमि का एक मात्र हकदार है। व इसी अनुसार घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अकेले अपने नाम दर्ज करवानें का अधिकारी है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि 5.693 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का आपसी सहमति से घरू बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है जिसमें मोडूराम को माडी बेवा मलू के देहान्त

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

के पश्चात विरासतन प्राप्त हई भूमि भी शामिल है। जो इस प्रकार है। जिसमें रूकमा वादीगण संख्या 1 के कब्जा मे पत्थर नम्बर 155/328 (22) किला नम्बर 6/2/.127, 7/1/.126, 8/1/.127, 9/2/.126, 10/1/.127, 11 ता 15/1.265 कुल तादादी 1.898 हैक्टर व वादीगण संख्या 2 मोडूराम के कब्जा कास्त में निम्न प्रकार है, 155/328 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 16 ता 20/1.265 हैक्टर 21/.127, 22/.126, 23/.126, 24/.127, 25/.126 कुल 1.897 हैक्टर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के काब्जा कास्त की भूमि इस प्रकार है 155/328 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 21/.126, 22/.127, 23/.127, 24/.126, 25/.127 पत्थर नम्बर 156/329 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1 ता 5/1.265 कुल 1.898 हैक्टर है। जो राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण का आपसी सहमति से घरा–घरू बटवारा हो चुका है । इसी कदर घोषणा करवाकर अलग से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित 5.693 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अपने–अपने कब्जा काश्त में की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है व मुताबिक घरा–घरू बंटवारा जो वादपत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है परन्तु भूमि संयुक्त खाता में रहने से रकम राज व बट सींव आदि को लेकर अक्सर विवाद रहता है इसीलिए वादीगण मुताबिक घरा–घरू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाकर रकमराज अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि अब भी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है परन्तु राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में भूमि दर्ज होने के कारण इमेशा रकम राज व बटसीव को लेकर अक्सर विवाद रहता है इसीलिए वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई दफा कहा कि मुताबिक घरा–घरू बंटवारा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ले पहले तो कई दिनो तक टाल–मटोल करते रहे आखिर दिनांक 14.03.2016 को कान मुण्डा में कतई इंकार हो गये यही बिनाय मुखास्मात वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं है परन्तु भूधारक होने के कारण क्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण ाय शुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री रमाया जावे।

(क) घोषित किया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि चक 10 एम.डी. बी की 5.693 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 2 माडी वेवा मल्लू के देहान्त के पश्चात अकेला 1.897 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ख) वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घरा–घरू बंटवारा अनुसार भूमि का खाता विभाजन कर अलग से रकम राज कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

घ) कोई अन्य अनुतोष हो तो नजदीक अदालत हाजा दिलवाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया ादीगण 1 ता 4 द्वारा जबाब दावा मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके ति कथन किया गया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1, 2 व 5 स्वीकार है। चरण संख्या ादी संख्या 2 माडूराम की माता माडी पत्नी मलू का देहान्त होना स्वीकार है।

लगातार 3

सहायक कलक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

चरण संख्या 4 में वर्णित घरू बंटवारा होना स्वीकार है तथा मुताबिक घरू बंटवारा न प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 के कब्जा काश्त मे चक 10 एम.डी. बी त्थर नम्बर 155/328 मुरबा नम्बर 22 किला नम्बर 21/.126, 22/127, 23/.127, 4/.126, 25/.127 पत्थर नम्बर 156/329 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1 ता 5/1.265 क्टर कुल 1.898 हैक्टर भूमि है।

वाद पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य वादीगण ने महज वाद कारण हांसिल करने की गर्ज से मनघढत अंकित किये गये है। चरण संख्या 7 व 8 कानूनी है।

अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण डिक्र किया जाकर वाद की मद संख्या 4 मे वर्णितानुसार हम प्रतिवादीगण का खाता तकसीम किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति एतराज नही है।

स्टेट की और से पैरोकार राज द्वारा कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वाद पत्र का कोई विरोध करते हुए काऊन्टर क्लेम प्रसतुत किया गया जिसका वादीगण द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें कारण तनकीयात बनाना नहीं पाये जानें पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्तागण द्वारा वाद व पत्र काऊन्टर क्लेम को दोहराते हुए वाद वादी व काऊन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री जारी किये जानें हेतु निवेदन किया।

चुँकि प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें से विवादीत आराजी के सन्दर्भ में तहसीलदार हनुमानगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जाना न्यायोचित होनें के कारण वाद वादी व काऊन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम के अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी चक 10 एम.डी. बी में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के सम्बंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के हिस्सा अनुसार मय नक्शा में विभाजन के दौरान विभाजित होनें वाली भूमि में पंहुचनें हेतु रास्ते को दर्शाते हुए वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुए तथा बैक ऋण के संबंध में विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा जावे। आदेशानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार स्वयं मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आईन्दा पेशी दिनांक 14-10-19 से पूर्व न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिंनाक 09.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

8

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 093/2016

1 रूकमा पत्नी ईशर जाति चमार साकिन मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2 मोडूराम पुत्र श्री मलूराम जाति चमार साकिन मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 गोपाल
2 माडूराम
3 बुधराम
4 भानीराम

पिसरान जगमाल जाति चमार साकिन बिजारणिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 पतराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति मेघवाल साकिन चक 16 एम.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा, एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 09.09.2019

वादीगण की और से श्री देवदत्त भीडासरा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की और से श्री आशीष भीडासरा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 09.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर प्राथमिक डिक्री की जाती है, कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम के अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी चक 10 एम.डी. बी में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के सम्बंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के हिस्सा अनुसार मय नक्शा में विभाजन के दौरान विभाजित होनें वाली भूमि में पंहुचनें हेतु रास्ते को दर्शाते हुए वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुए तथा बैक ऋण के संबंध में विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा जावे।

तहसीलदार स्वयं मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आईन्दा पेशी दिनांक 15-10-19 से पूर्व न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner